IV 20/2019 1

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत सत्यमेव जयते INDIA FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CA 094040

मो० न० 9936616215

न्यास-पत्र

हम कि श्यामसुन्दर यादव पुत्र स्व0 पलकधारी यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0) का हूँ। हम मुकिर समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु निरन्तर कार्य करता रहता हूँ तथा हम मुकिर के मन-मस्तिष्क में अपने व्यक्तिगत कार्यों के साथ - साथ राष्ट्र एवं समाज हित का चिन्तन बना रहता है। हम मुकिर की हार्दिक इच्छा है कि समाज में सुख-शान्ति, आपसी सद्भाव व विश्वास, सदाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। समाज के साधन हीन व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप तकनीकी एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाय। समाज के सामुदायिक विकास में परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक तालमेल बनाये रखने एवं समाज को शिक्षित करने में लिंग भेद, जाति-पाँति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना कहीं से भी बाधक न हो। मेधावी व प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अपने देश में अथवा देश के बाहर उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाय। जनहित के उक्त कार्यों को संचालित करने तथा उससे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न संस्थाओं एवं समितियों का गठन किया जाना आवश्यक पाकर इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए हम मुकिर द्वारा एक

6 09.09.2019

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094041

कल्याणकारी न्यास/ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। हम मुकिर द्वारा अपनी उक्त हार्दिक इच्छा की पूर्ति के लिए तथा इस हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था के बावत रू0 **11,000/-** (ग्यारह हजार) रूपये का एक न्यास कोष स्थापित किया गया है, और आगे भी इस न्यास कोष में विभिन्न उपायों से धन व चल-अचल सम्पत्ति की मैं व्यवस्था करता रहूँगा। हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था एवं प्रशासन के बावत एक न्यास-पत्र को भी निष्पादित कर रहा हूँ, जिसकी व्यवस्था निम्नरूपेण की जायेगी--

1- यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम "कर्मदानी देवी एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट" होगा जिसे इस न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।

2- यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित उक्त ट्रस्ट का **रजिस्टर्ड कार्यालय- ग्राम-हरैया, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर** (उ0प्र0 स्थित होगा। उक्त ट्रस्ट के कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके अन्य कार्यालयों की भी स्थापना की जायेगी और उनके कार्यालयों के पते पर ट्रस्ट के द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत कराया जा सकेगा। ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा। आवश्यकता पड़ने पर भारत के बाहर विदेशों में भी विधि पूर्ण कार्यों का संचालन किया जा सकेगा।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

17

5-9-19

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 — FIFTY RUPEES Rs.50

भारत — INDIA — सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CA 094042

3- यह कि हम मुकिर ट्रस्ट मजकूर के संस्थापक व मुख्य ट्रस्टी होंगे तथा ट्रस्ट के प्रधान प्रबन्धक आशुतोष यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0) होंगे। हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार ट्रस्ट के हित में ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं को ट्रस्ट का ट्रस्टी नामित करता हूँ। इस प्रकार नामित व्यक्तियों को ट्रस्ट का ट्रस्टी कहा जायेगा। भविष्य में हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति हेतु अन्य ट्रस्टियों की भी नियुक्ति की जा सकेगी। हम मुकिर द्वारा नामित ट्रस्टियों तथा मुख्य ट्रस्टी को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल/ट्रस्ट मण्डल कहा जायेगा। ट्रस्ट की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्तियों का विवरण निम्नलिखित है:-

1- आशुतोष यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0)

2- रामअशीष यादव पुत्र श्यामसुन्दर यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0)

3- गोपाल यादव पुत्र श्यामसुन्दर यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0)

4- पूनम यादव पत्नी श्री रामअशीष यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0)

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

૪૦
૧૪
૫-૯-૧૯

[illegible]

[illegible]

8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094043

5- आशा यादव पत्नी गोपाल यादव निवासी ग्राम-सिंहपुर, पोस्ट-हरैया, तहसील-चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर (उ0प्र0)

4- यह कि हम मुकिर द्वारा "कर्मदानी देवी एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट" के नाम से जिस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है उसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1- ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड व सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशनल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त कर विद्यालय के संचालन के सम्बन्ध में शासन के निम्नांकित प्रतिबन्ध स्वीकार होंगें :-

(a) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(b) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।

(c) संस्था द्वारा राजय सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाये और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

19
5-9-19

[illegible]

[illegible]

5

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094044

(d) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(e) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(f) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।

(g) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(h) उक्त शर्तों में शासन के पूर्वानुमति के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

2- समाज के आर्थिक, सामाजिक, सॉस्कृतिक, शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

3- शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना और आम जनता में चेतना जागृत

कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर निर्भर बनाना तथा प्रतिभा सम्पन्न मेधावी छात्रों को देश-विदेश में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सहयोग करना।

4- नवयुवक, नव युवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट (10+2),

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

20
5-9-19

[illegible]

[illegible]

6

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CA 094045

आई0टी0आई0 विकलांग महाविद्यालय, व स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना। शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं उन्नयन के क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी - गैरतकनीकी शिक्षा/विधि0 शिक्षा/शिक्षा0 प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउण्ड में दुकान व आवास का निर्माण करना ।

5- वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए उससे संबंधित ज्ञान को जिज्ञासुओं, प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टैकनालोजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।

6- समाज के सामुदायिक विकास को परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर के रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारियों के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना।

7- लिंग भेद, जाति-पाँति, छुआ-छूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण /लिट्रेचर आदि की व्यवस्था करना।

8- शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-मेडिकल, इन्जीनियरिंग, पालीटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

૪૦
૨
5-9-19

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094046

में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेण्टरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।

9- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना।

10- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक ट्रेनिंग जैसे-सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग स्क्रीनिंग पेन्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मकैनिक, रेडियो एवं टी0बी0 ट्रेनिंग, टाइपिंग, शार्ट हैण्ड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण डाइटिंग प्रशिक्षण आदि केन्द्रों की स्थापना। व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना। आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र व दवा को उपलब्ध कराना।

11- खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना।

12- युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी सॉस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग, कला, निबन्ध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी ट्रस्ट का उद्देश्य है।

13- समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना जैसे-गूँगे-बहरे, अन्धों, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग /गरीब बच्चों, निराश्रित अनाथ बच्चों

श्यामसुन्दर

[redacted]

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

২২

৫-৭-১৯

[illegible]

[illegible]

8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CA 094047

एवं युवाओं के लिए विद्यालय छात्रावास एवं भोजन वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था करना एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाना आदि।

14- वृद्धों के लिए विश्राम केन्द्र अथवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना जिसमें मनोरंजन, पढ़ने - लिखने एवं उन्हें खेलने की पूर्ण सुविधा हो।

15- महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।

16- सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केन्द्र, बारात घर, धर्मशाला, पुस्तकालय, खेल का मैदान, योग प्रशिक्षण केन्द्र, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।

17- सरकारी/अर्द्ध सरकारी/प्राईवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी बूटियों वाले पौधे का उत्पादन तथा अन्य आर्थिक महत्व वाले पौधे का रोपण करना।

18- खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे संबंधित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना।

19- राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना।

20- विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकत सुविधा के साथ प्रशिक्षण हाल की स्थापना करना जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण सम्पादित हो सके तथा नेहरू युवा केन्द्र, समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

૬-૭-૧૯

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094048

21- घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षित एवं साधन सम्पन्न करना।

22- बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान-मसाला, गॉजा-भॉग, स्मैक, एल0सी0डी0 या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाले बीमारियों के प्रति सतर्क कराना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था करना।

23- समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे अन्ध विश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बालश्रम, महिला शोषण, लिंग भेद, अस्पृश्यता की भावना को दूर करना।

24- सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना तथा विभिन्न त्यौहारों एवं कार्यक्रमों में होने वाले भोजन तथा धन के अपव्यय की रोकथाम करना।

25- विभिन्न प्रकार के खेल जैसे योग, जिम्नास्टिक, जूड़ो-कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना।

26- परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता/प्रशिक्षण, दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा तथा रूढ़िगत विश्वास एवं अंधविश्वासी धर्म के स्थान पर लोक कल्याणकारी धर्म की शिक्षा देते हुए शिविर की स्थापना कराना, साथ-साथ परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना कराना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

૨૪
5-9-19

ઉપાધ્યક્ષ (પંચાયત) (ઈ) પાલનપુરને
નિર્ણય ઉતારવા માટે

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094049

27- एड्स, कैंसर, टी0बी0, कोढ़, मलेरिया, पोलियों, हेपेटाइटिस, जलजनित, इन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों की जानकारी/ रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता /उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जन सामान्य के लाभ हेतु डेण्टल कॉलेज/होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा मेडिकल-महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालय, नर्सिंग होम की स्थापना करना।

28- सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पिच, पार्क शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था कराना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्पलागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

29- कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नये-नये वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करना तथा नये-नये शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे संबंधित बीमारियों की जानकारी देने अथवा दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। तिलहन, दलहन तथा बागवानी के विकास हेतु नये वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

30- वर्मी कम्पोस्ट एवं शाक-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाले हानि से लोगों को अवगत कराना।

श्यामसुन्दर

[redacted]

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

5-9-19

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   CA 094050

31- बंजर एवं ऊसर भूमि, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए योजनाओं को लागू करना।

32- प्राकृतिक आपदा जैसे हैजा, प्लेग, भुखमरी, बाढ़, आग, सूखा, अकाल, चक्रवात, भूकम्प, दुर्घटना की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा इसके लिए लोगों/संस्था तथा कम्पनियों आदि से आर्थिक सहयोग व शासन/प्रशासन का सहयोग प्राप्त करना।

33- तत्काल सुविधा पहुंचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस/दुर्घटना जख्मी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मोबाइल, इमरजेन्सी एम्बुलेन्स/वैन की व्यवस्था करना।

34- पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए कौंसिलिंग केन्द्रों की स्थापना एवं प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता की जा सके। गरीब लोगों व महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।

35- न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला / प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।

36- सरकारी/अर्द्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

৪০
২৬
৫-৭-১৯

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CA 094052

7- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्हीं आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था ट्रस्ट में निहित करना।

8- ट्रस्ट के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों, शोध केन्द्रों, गौशालाओं व अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करना और नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचरण व व्यवहार नियमावली तैयार कर उनके हित में अन्य कार्यों को करना।

9- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान, उपहार, अनुदान, ऋण व अन्य स्रोतों से धन व सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न माध्यमों से ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

10- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।

11- ट्रस्ट से सम्बन्धित आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करना तथा उक्त अधिनियम की धारा 80 जी0जी0 के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करना।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

[illegible]

5-9-19

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CA 094053

12- ट्रस्ट द्वारा स्थापित की जाने वाला शैक्षिक/तकनीकी/गैर तकनीकी विद्यालयों एवं डीम्ड यूनीवर्सिटी इन्स्टीच्यूटस की मान्यता व सम्बद्धता के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारी/परिनियमावली द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों को पूर्ण कर समस्त आवश्यक कार्य करना।

6- ट्रस्ट की प्रबन्ध व्यवस्था :-

(क) ट्रस्ट का गठन एवं संचालन-

ट्रस्ट का गठन एवं संचालन निम्नलिखित रूप से किया जायेगा-

1- ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हम मुकिर होंगे और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को **अपने जीवन काल में अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने का अधिकार होगा,** मुख्य ट्रस्टी को वसीयत के माध्यम से भी ट्रस्ट के अगले मुख्य ट्रस्टी को नामित करने के अधिकार को प्रतिबन्धित नहीं करेगा।

2- मुख्य ट्रस्टी की अनुपस्थिति बीमारी या कार्य करने की अक्षमता की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगा। किसी ट्रस्टी को अपने व्यक्तिगत कारणों से स्वेच्छया से त्याग पत्र देकर ट्रस्ट से अलग होने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा।

3- ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों में से ट्रस्टीगण को ट्रस्ट की सुचारू प्रबन्ध व्यवस्था के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के रूप में नियुक्ति की जा सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किए गए ट्रस्टियों का कार्य अधिकार निश्चित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के उक्त पदाधिकारियों का निर्वाचन

श्यामसुन्दर

[redacted]

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

29

5-9-19

ઉપાગ્રહ પાછળ ૯૦૫

નિર્ણય ઠરાવ

15

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

86AD 865177

ट्रस्ट मण्डल द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के निर्वाचन में मूलतः आम सहमति के आधार पर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जाना सम्भव नहीं हो सका तो पदाधिकारियों का निर्वाचन मुख्य ट्रस्टी की देख-रेख में कराया जा सकेगा और इस प्रकार से निर्वाचन सम्पन्न किए जाने पर मुख्य ट्रस्टी का निर्णय सभी ट्रस्टियों के लिए मान्य एवं अन्तिम होगा।

4- ट्रस्ट मण्डल के किसी भी ट्रस्टी के त्याग पत्र देने अथवा मृत्यु होने पर उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और ऐसी स्थिति में हुई रिक्ति की पूर्ति मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के हितैषी किसी अन्य व्यक्ति को नामित करके कर ली जायेगी।

5- ट्रस्ट मण्डल के किसी सदस्य को उसके द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा ट्रस्ट के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में ट्रस्ट मण्डल द्वारा उन्हें सामान्य बहुमत से ट्रस्ट से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सुयोग्य एवं हितैषी व्यक्ति को ट्रस्ट मण्डल के ट्रस्टी के रूप में समायोजित कर लिया जायेगा । यदि कोई ट्रस्टी उक्त प्रकार से ट्रस्ट से पृथक नहीं किया जाता है तो ट्रस्ट मण्डल के सदस्य के रूप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

6- ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था व इनसटीच्यूट के प्राचार्य शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के प्रतिनिधि सम्बन्धित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट की

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

[illegible]

5-9-19

[illegible]

[illegible]

152

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

86AD 865178

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नियामक संस्था अथवा विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार उसके प्रबन्ध व्यवस्था के लिए नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत या अनुमोदित कराये गये प्रशासन योजना के अनुसार संबंधित शैक्षिक संस्था व इन्स्टीच्यूट के प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे तथा उन्हें नियमानुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

7- ट्रस्ट मण्डल का कोई भी ट्रस्टी किसी भी व्यक्ति या संस्था से यदि कोई व्यक्तिगत लेन-देन करता है तो ट्रस्ट का इस सम्बन्ध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा बल्कि सम्बन्धित ट्रस्टी के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

8- ट्रस्ट के कार्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी अथवा न्यास मण्डल द्वारा भेजे गये किसी प्रतिनिधि के द्वारा किए गए खर्चे व उसके सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यय राशि से सम्बन्धित बिलों व बाउचरों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार मुख्य न्यासी के पास सुरक्षित होगा।

(ब)- <u>ट्रस्ट की बैठक एवं वार्षिक अधिवेशन :-</u>

1- ट्रस्ट मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक अवश्य होगी। उक्त वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के अधीन संचालित सभी संस्थाओं/समितियों के प्रबन्धक/सचिव व प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेंगे। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को 15 दिन पूर्व मुख्य ट्रस्टी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग

श्यामसुन्दर

[redacted]

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

[illegible]

5-9-19

[illegible]

[illegible]

86AD 865179

UTTAR PRADESH

न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता को समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य ट्रस्टी के पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।

2- वार्षिक बैठक में ट्रस्ट के साल भर के क्रिया-कलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर ट्रस्ट का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त बहुमत से पारित नियम एवं निर्णय पर ट्रस्ट मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

7- <u>मुख्य ट्रस्टी/प्रधान प्रबन्धक के अधिकार एवं कर्तव्य :-</u>

1- इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के प्रबन्धक को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं एवं विद्यालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबन्धक द्वारा किये गये कार्य को मुख्य ट्रस्टी द्वारा माना जायेगा।

2- ट्रस्ट से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार के धन को प्राप्त करके उसकी रसीद देना।

3- ट्रस्ट की समस्त कार्यवाही लिखना व अन्य अभिलेखों को तैयार करना/कराना।

4- ट्रस्ट की बैठकों को आमंत्रित करना तथा उसकी सूचना ट्रस्टीगण को देना।

5- ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना तथा ट्रस्ट के आय-व्यय का हिसाब किताब तथा रिपोर्ट ट्रस्ट मण्डल के समक्ष रखना।

6- ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की समस्त चल - अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण व प्राप्ति से संबंधित विलेखों को हस्ताक्षरित करना।

7- ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के विरूद्ध की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में ट्रस्ट की ओर से पैरवी करना तथा अधिवक्ता व मुख्तार नियुक्त करना।

श्यामसुन्दर

[redacted]

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

86AD 865180

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8- इस ट्रस्ट विलेख द्वारा प्राप्त अन्य अधिकारों सहित मुख्य प्रबन्धक के रूप में शेष ट्रस्टियों के सहयोग से ट्रस्ट के हित में अन्य समस्त कार्यों को करना।

9- ट्रस्ट की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करना।

10- ट्रस्ट की आय-व्यय की रिपोर्ट तैयार करना तथा ट्रस्ट मण्डल द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षक से ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराना।

11- ट्रस्ट के वित्त सम्बन्धी लेखों का सुचारू रूप से रख-रखाव करना।

8- <u>ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था :-</u>

ट्रस्ट के कोष के सुचारू रख-रखाव एवं उसकी व्यवस्था हेतु किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत/ मान्यता प्राप्त अविसूचित बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोला जायेगा, जिसमें ट्रस्ट की प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की धनराशियाँ एवं ऋणराशियाँ निहित होगी। ट्रस्ट के नाम खोले गये खाते का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा अकेले अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा अधिकृत ट्रस्टी के साथ संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9- <u>ट्रस्ट के अभिलेख:-</u>

ट्रस्ट के अभिलेखों के तैयार करने/कराने व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी का होगा। मुख्य ट्रस्टी द्वारा प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, सम्पत्ति रजिस्टर व लेखों का रजिस्टर इत्यादि रखा जायेगा।

10- <u>ट्रस्ट के सम्पत्ति की व्यवस्था :-</u>

ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप में की जायेगी —

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

32

5-9-19

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

86AD 865181

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1- ट्रस्ट मण्डल द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु व्यक्तियों वित्तीय संस्थाओं व बैंकों से दान, सहायता या ऋण इत्यादि लिया जा सकेगा और किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी व एक अन्य ट्रस्टी जिसे की मुख्य ट्रस्टी उचित समझे अधिकृत होगें। मुख्य ट्रस्टी के हित में बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की सम्पत्ति को बन्धक रख सकेगा।

2- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं सीमितयों को संचालित करने के लिये भूमि एवं भवन कार्य कर सकेंगे या किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगें। मुख्य ट्रस्टी, ट्रस्ट की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराया पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

3- ट्रस्ट की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने या दुरूपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को प्राप्त होगा।

4- ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

5- ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित किसी भी संस्था व विद्यालय प्रबन्धकीय विवाद उत्पन्न होने पर उसके सम्बन्ध में ट्रस्ट मण्डल का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा परन्तु यदि किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका तो विवाद के लम्बित रहने के दौरान सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्धन व उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था ट्रस्ट में निहित रहेगी।

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

पुष्टि विलेख 52 19

33

5-9-19

आवेदन सं०: 201900951005996

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 20

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 770 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 340

श्री श्यामसुन्दर यादव ,
पुत्र श्री स्व0 पतकधारी यादव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: सा0 मौजा सिहपुर पो0 हरैया तह0 चौरी चौरा जि0 गोरखपुर

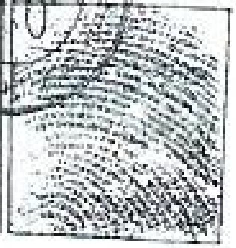

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 09/09/2019 एवं 03:10:40 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र शेखर साही, प्रभारी
उपनिबंधक चौरी चौरा
गोरखपुर
09/09/2019

महावीर प्रसाद ,
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

86AD 865182

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6- किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से किया जायेगा जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

7- ट्रस्ट के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों एवं सेवा पुस्तिका का विवरण भी ट्रस्ट मण्डल के अधीन होगा। ट्रस्ट मण्डल बहुमत से स्वयं उन कार्यों को करेगा, अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्त करेगा इसके अतिरिक्त ट्रस्ट मण्डल अपने सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैतनिक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगा।

8- ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के लिए वह सभी कार्य करेगा जो ट्रस्ट के हितों के लिए आवश्यक हो तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

9- ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिये ही उपयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत भी यह शर्तें लागू होंगी।

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S. INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S. INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

5-9-19

आवेदन सं०: 201900051005996

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 20 वर्ष: 2019

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री श्यामसुन्दर यादव, पुत्र श्री स्व० पलकधारी यादव

निवासी: सा0 मौजा सिंहपुर पो0 हरैया तह0 चौरी चौरा जि0 गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता : 1

श्री आशुतोष यादव , पुत्र श्री गोपाल यादव

निवासी: सा0 मौजा सिंहपुर पो0 हरैया तह0 चौरी चौरा जि0 गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

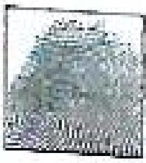

पहचानकर्ता : 2

श्री हेमन्त यादव , पुत्र श्री इन्द्रजीत यादव

निवासी: सा0 मौजा सिंहपुर पो0 हरैया तह0 चौरी चौरा जि0 गोरखपुर

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

चन्द्र शेखर शाही, प्रभारी
उपनिबंधक : चौरी चौरा
गोरखपुर

महावीर प्रसाद
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

86AD 865183

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

घोषणा

"कर्मदानी देवी एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट" की तरफ से हम श्यामसुन्दर यादव मुख्य न्यासी के रूप में यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त न्यास पत्र लिखवा कर, पढ़ व समझ कर स्वस्थ मन व चित्त से बिना किसी बाहरी दबाव के सोच समझ कर इस न्यास पत्र को निबन्धन हेतु प्रस्तुत किया है, जिससे कि इस न्यास का विधिवत गठन हो सके।

श्यामसुन्दर

हस्ताक्षर मुख्य न्यासी

हस्ताक्षर साक्षीगण

आशुतोष यादव पुत्र गोपाल यादव, सिंहपुर
पो०- हैंसा, तहसील चौरी चौरा जनपद
गोरखपुर - 8102835100

हेमन्त यादव पुत्र इन्द्राजीत यादव
ग्रा० सिंहपुर पो० हरैया तहसील चौरी चौरा जनपद
गोरखपुर 7388531724

रामनयन यादव

मो० 9956370213

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

आवेदन सं.: 201900951005996

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 17 के पृष्ठ 177 से 224 तक क्रमांक 20 पर दिनाँक 09/09/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

चन्द्र शेखर शाही, प्रभारी
उप निबंधक : चौरी चौरा
गोरखपुर
09/09/2019

[redacted]

श्याम सुन्दर यादव

Shyam Sundar Yadav

जन्म तिथि/ DOB: 17/03/1942

पुरुष / MALE

8746 5821 6543

मेरा आधार, मेरी पहचान

श्यामसुन्दर

[redacted] ...thority of India

पता:
S/O: पत्तधारी, -, -, हरैया, -, ब्रह्म पुर, गोरखपुर,
उत्तर प्रदेश - 273203

Address:
S/O: Pattadhari, -, -, HARAIYA, -, Brahm Pur, Gorakhpur,
Uttar Pradesh - 273203

8716 5821 6543

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

महत्वपूर्ण / IMPORTANT

...क लिए ग्राहकों द्वारा ... मानदंडों का अवश्य पालन किया जाना चाहिए।
...) norms must be complied by the Customer for opening of any account.

...अन्य समस्त आहरणों हेतु पास बुक अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।
...ented for all withdrawals other than by cheques and debit Card.

...पास बुक के पिछले आवरण पृष्ठ के भीतर दख
...r for meaning of abbreviations.

...त स्थानों पर रखनी चाहिए तथा उसके खो जाने की स्थिति में तत्संबंधी सूचना तत्काल बैंक को दी जाए।
...assbook in safe place and in case of loss, it should be immediately reported to the Bank.

5. ...में कोई लेनदेन नहीं किया गया हो तो खाते को निष्क्रिय माना जाएगा।
If there are no transactions in the account in two consecutive half-years the account will be treated as 'inoperative.'

6. यदि बैंक ... खातों में राशि के अभाव में ... वापस किया जाता है तो खाते को बंद करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।
The Bank reserves its right to close the account if it is observed that cheques drawn in the account have been frequently returned for want of fund.

ALLAHABAD BANK, GORAKHPUR
BRANCH CODE - 0211207
IFSC - ALLA0211207
MICR - 2730100...

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

31/01/2013

शाखा / BRANCH (1207)

कम्प्यूटरीकृत बचत खाता पासबुक
COMPUTERISED SAVINGS BANK PASS BOOK

नाम / NAME(S):
पता / ADDRESS: Mr. SHYAM SUNDER YADAV
SINGH PUR PO- HARAIYA
GORAKHPUR
GORAKHPUR
273203
UTTAR PRADESH

व्यवसाय / Occupation

पास बुक सं.
Pass Book No. 1

खाता सं.
Account No. 21639981319

नामांकन पंजीकृत /
Nomination Registered :

नामांकन पंजीकरण सं. /
Nomination Reg. No. :

AUTHORISED SIGNATORY

SB-1018

Ac. No-21639981319

श्यामसुन्दर

PRINCIPAL
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S.INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA,BRAHMPUR,GORAKHPUR

भारत सरकार
Government of India

Ashutosh Yadav
MALE

8907 6340 9034

मेरा आधार, मेरी पहचान

श्यामसुन्दर

हेमन्त यादव

Unique Identification Authority of India

Address:
S/O Gopal Yadav, singhpur haraiya
Brahm Pur, Gorakhpur
Uttar Pradesh - 273203

8907 6340 9034

PRINCIPAL
K.D.S. INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR

DIRECTOR
K.D.S. INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL
HARAIYA, BRAHMPUR, GORAKHPUR